



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



Mukhya Mantri Gram Sadak Unnayan Yojana (MMGSUY)



AA COPY

DETAILED PROJECT REPORT

STATE :-	Bihar		DISTRICT :-	Gaya.
DIVISION :-	Sherghati		BLOCK :-	Gurua
NAME OF ROAD :-	L041-L045 To PESARA (VR21)			
TOTAL LENGTH OF ROAD.		=	1.550 Km	
TOTAL CONSTRUCTION LENGTH OF ROAD		=	1.550 Km	
TOTAL COST OF CONSTRUCTION.		=	Rs. 69.571 Lacs	
COST OF ROAD CONSTRUCTION PER KM		=	Rs. 44.885 Lacs	
TOTAL COST OF 6 YEAR OPERATION & MANAGEMENT (O&M).		=	Rs. 14.138 Lacs	
(EMERJENT@15% ,CONTINGENCY @1% & ADMINISTRATIVE COST @2.25%)		=	Rs. 15.277 Lacs	
TOTAL PROJECT COST		=	Rs. 98.986 Lacs	
YEAR (2024 - 2025)				

Submitted By :-

Executive Engineer

RWD (w) Division, Sherghati

Gaya.

Prepared By:

A.K. ENGINEERING SERVICES.

Darna Road, Mahunwan

Hamzapur, Sherghati-824211

MOB: +91 7739181616

E-MAIL: akengineering120@gmail.com

- 1 -
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक मु0अ0 (अ0उ0)4515 01-68/2025 350
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 14/2/25

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति घटक के अधीन गया जिला अन्तर्गत कुल 629 पथों के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति घटक के अधीन गया जिला अन्तर्गत कुल 629 पथों (लम्बाई 1241.990 कि०मी०) के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु स्वीकृति पर सक्षम स्तर (मंत्रिपरिषद्) से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में कुल राशि 955.75313 करोड रुपये की समेकित रूप से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	Division	Block	Road Name	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification, Minor improvement if required and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost [2.25% + 1%] (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gaya	Tankuppa	Bandhua Kariyadpur road to Surangabigha road	2.000	71.140	23.050	14.130	3.060	111.380
2	Gaya	Tankuppa	Bandhua Kariyadpur road to Pati road	2.800	100.220	32.460	19.920	4.320	156.920
3	Gaya	Tankuppa	Fatehpur to Bhadan Road	1.225	48.300	14.120	9.360	2.020	73.800
4	Gaya	Tankuppa	Repair of road from Gaya Nawada N.H. road to Gaya Fatehpur S.H. road	4.100	219.270	39.560	38.830	8.410	306.070
5	Gaya	Tankuppa	L055-Tetaria Road to Bhagwanpur (VR55)	1.170	46.070	13.860	8.990	1.950	70.870
6	Gaya	Tankuppa	L045-Tankupa Road to Desarna (VR45)	1.725	62.470	20.600	12.460	2.700	98.230
7	Gaya	Tankuppa	L041-Mahiyarpur Road to Punaul (VR41)	1.270	47.630	15.200	9.430	2.040	74.300

82

85	Sherghati	Gurua	L072-T03 TO MAKHDUMPUR (VR45)	2.450	140.282	22.879	24.474	5.303	192.938
86	Sherghati	Gurua	L104-T01 TO DHAMAUL (VR73)	1.270	55.517	12.231	10.162	2.202	80.112
87	Sherghati	Gurua	L023-T03 TO KETURI (VR3)	2.030	102.722	18.179	18.135	3.929	142.965
88	Sherghati	Gurua	L107-L039 TO SONBARSA (VR76)	0.700	26.895	6.232	4.969	1.077	39.173
89	Sherghati	Gurua	L041-L045 TO PESARA (VR21)	1.550	69.571	14.138	12.556	2.721	98.526
90	Sherghati	Gurua	L111-T05 TO CHANDOKHARA (VR80)	1.240	45.876	9.547	8.313	1.801	65.537
91	Sherghati	Gurua	L119-T02 TO SAGAH SATAND (VR88)	1.010	41.621	8.922	7.581	1.643	59.767
92	Sherghati	Gurua	L094-BILAUTI TO LAKRAHI (VR63)	1.300	48.284	10.551	8.825	1.912	69.572
93	Sherghati	Gurua	L022-T01 TO PWARA (VR91)	3.200	127.869	26.832	23.205	5.028	182.934
94	Sherghati	Gurua	L046-L039 TO BHARTIPUR (VR26)	1.540	57.924	14.446	10.855	2.352	85.577
95	Sherghati	Gurua	L101-L071 TO GONDA (VR70)	1.010	37.373	7.641	6.752	1.463	53.229
96	Sherghati	Gurua	L096-T03 TO NADIYAN (VR65)	0.930	68.574	8.662	11.585	2.510	91.331
97	Sherghati	Gurua	L117-L037 TO DAULATPUR (VR86)	1.380	82.629	13.729	14.454	3.132	113.944
98	Sherghati	Gurua	L109-L057 TO MAHADEV ASTHAN (VR78)	2.600	94.463	22.468	17.540	3.800	138.271
99	Sherghati	Gurua	L112-T07 TO TIKRI (VR81)	0.920	36.905	8.504	6.811	1.476	53.696
100	Sherghati	Gurua	L040-L034 TO LAKHRAHI (VR20)	1.870	68.933	16.176	12.766	2.766	100.641
101	Sherghati	Gurua	L110-T07 TO AZAD BIGHA (VR79)	2.190	81.025	18.728	14.963	3.242	117.958
102	Sherghati	Gurua	L120-L022 TO KAMALDHARA (VR89)	1.125	48.791	10.650	8.916	1.932	70.289
103	Sherghati	Gurua	L103-L081 TO AKHORIKHAP (VR72)	1.080	41.491	9.515	7.651	1.658	60.315
104	Sherghati	Gurua	L102-T01 TO BELA (VR71)	2.350	96.913	22.287	17.880	3.874	140.954

20

ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-37-4515-00-789-0107, मूल बजट उपबंध-700.00 करोड़ रु० है। निर्धारित Bank of Sanction के अतिरिक्त दिनांक 02.08.2024 एवं 22.01.2025 को लोक वित्त समिति द्वारा योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु क्रमशः राशि 500 करोड़ रुपये एवं 2220 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। वर्णित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अधीन है।

- 3 इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथों के समेकित प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प संख्या- 1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प संख्या-1718 दिनांक 15.11.2024 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में यथारामद प्रखंडवार/अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- 4 प्रशासनिक अनुमोदन संबंधित स्वीकृत्यादेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर इसका संशोधन विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकेगा।
- 5 सारणी में अंकित योजनाओं के समेकित प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव एवं उपरोक्त कंडिकाओं (क्रमांक- 1 से 4) पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् द्वारा संचिका संख्या-मु0अ0 (अ0उ0)4515-01-68/2025 में दिनांक-13.02.2025 को मद संख्या -04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त हैं।
- 6 प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
- 7 पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
- 8 संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- 9 वर्णित योजना से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर की गई प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।



10. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
11. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन नहीं है।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
14. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
18. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
19. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
20. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।



21. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-11 के आलोक में स्वीकृतादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-68/2025 के पृ०- 32/टि० पर दिनांक-14/12/25 की प्राप्ति है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-68/2025 350 /पटना, दिनांक- 14/12/25
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
14/12/25

ज्ञापांक-मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-68/2025 350 /पटना, दिनांक- 14/12/25
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, विकास आयुक्त, विहार, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
14/12/25

प्रमाण- पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है की जिला:- Gaya.

प्रमंडल Sherghati प्रखंड:- Gurua के अधीन

ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत पथ L041-L045
to PESARA (VR21)

के नवीनीकरण/उन्नयन/पुननिर्माण किये जाने हेतु तैयार किये गये

प्राक्कलन में कृत प्रावधान स्थल के अनुरूप है जिसमे विशेषतः सघन

आबादी एवं संकीर्ण क्षेत्र मे Cement Concrete Pavement(यदि लागू हो)

एवं Traffic की गणना के आधार पर BM (यदि लागू हो) का प्रावधान
किया गया है ।

संबंधित पदाधिकारी का नाम :-

पदनाम:- AE

पदस्थापन स्थल:-

प्रमाण- पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है की जिला:- Gaya.

प्रमंडल Sherghati प्रखंड:- Gurua के अधीन

ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत पथ L041-L045
to PESARA (VR21)

के नवीनीकरण/उन्नयन/पुननिर्माण किये जाने हेतु तैयार किये गये

प्राक्कलन में कृत प्रावधान स्थल के अनुरूप है जिसमें विशेषतः सघन

आबादी एवं संकीर्ण क्षेत्र में Cement Concrete Pavement(यदि लागू हो)

एवं Traffic की गणना के आधार पर BM (यदि लागू हो) का प्रावधान
किया गया है ।

संबंधित पदाधिकारी का नाम :-

पदनाम:- Executive Engineer.

पदस्थापन स्थल:-

CLASSIFIED TRAFFIC VOLUME COUNT SURVEY

Road Name : L041-L045 To PESARA (VR21)										Road No : Station No : 1									
Section From : Up ↑ L041-L045 Down ↓ PESARA (VR21)										To L041-L045 To PESARA (VR21)									
Location Km : 1.550 Km										3 - 12 - 2024 24 Hours									
FAST MOVING VEHICLES										SLOW MOVING VEHICLES							Hourly PCU	Peak Hour PCU	
TIME	Two Wheeler	Three Wheeler Auto Rickshaw	Car/Jeeep/ Van/ Taxi	Bus		LCV	TRUCK		Agei. Tractor		Cycle Rickshaw	Animal Drawn							
				Loaded	Un loaded		Loaded	Un loaded	With Trailer	Without Trailer		Bullock Cart	Num. Tyred						
6.00 AM - 12.00 PM	4	0	3	0	0	2	7	6	4	3	0	0	0	0	70				
12.00 PM - 6.00 PM	3	1	2	0	0	2	5	2	7	3	0	0	0	0	66				
6.00 PM - 6.00 AM	2	0	0	0	0	2	4	6	1	2	0	0	0	0	43				